



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 आ.प्र.सं.

संख्या – 468 वर्ष 2026

रेहान नसीमुद्दीन

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, लखनऊ

एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : शशांक कुमार, प्रशांत शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. यह वर्तमान आवेदन प्रार्थी- रेहान नसीमुद्दीन द्वारा एफ.आई.आर./वाद अपराध संख्या 79 वर्ष 2021, धारा 420, 467, 468 और 471 भा.द.सं., थाना गाजीपुर, जिला लखनऊ के अंतर्गत, उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि उन्हें उक्त मामले में गिरफ्तारी की आशंका है।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन पर बल देते हुए तर्क दिया कि यह मिथ्या अभियोजन का मामला है। एफ.आई.आर. में 136 व्यक्तियों को नामजद किया गया है और आरोप लगाया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय प्रार्थी ने जाली अंकतालिका संलग्न की थी, जिसे सत्यापन के बाद उस विद्यालय द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया जिसके द्वारा इसे जारी किया जाना दर्शाया गया था, हालांकि, प्रार्थी का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है, और न ही उसने कभी पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

4. यह पुरजोर तरीके से तर्क दिया गया है कि प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच किए बिना, इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी गलतफहमी के कारण प्रार्थी का नाम इस मामले में घसीटा गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि जांच के दौरान 71 और व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि पिछले तीन वर्षों से मामले की जांच चल रही है और प्रार्थी जांच में सहयोग कर रहा है। हालांकि, जांच अंतिम चरण में है और जांच अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 की गलत व्याख्या करके प्रार्थी को गिरफ्तार करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी, वह जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेगा। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, यथा- जाफर अली, अरविंद कुमार चौरसिया, मो. नदीम खान, अभिषेक कुमार अग्रवाल, अंकित कुमार अग्रवाल, संजय कुमार चौधरी और मोहन सिंह को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः 5.8.2024, 29.2.2024, 6.8.2024, 2.9.2024, 5.9.2024, 1.10.2024 और 12.11.2024 के आदेशों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1737/2024, 424/2024, 1746/2024, 1992/2024, 2042/2024, 2265/2024 और 2506/2024 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) का तर्क है कि जिस प्रकार से अपराध किया गया है, उसे देखते हुए प्रार्थी किसी भी संरक्षण का हकदार नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि इस मामले की एफ.आई.आर. 136 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई थी; उनके विरुद्ध आरोप समान हैं अर्थात् जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना और जांच के दौरान 71 और व्यक्तियों को जोड़ा गया है; प्रार्थी का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है; समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, यथा- जाफर अली, अरविंद कुमार चौरसिया, मो. नदीम खान, अभिषेक कुमार अग्रवाल, अंकित कुमार अग्रवाल, संजय कुमार चौधरी और मोहन सिंह को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले की जांच पिछले तीन वर्षों से लंबित है, प्रार्थी के पक्ष में अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नत्थू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2021(6) एससीसी 64, मनु /एससी/0360/2021** में प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थी को सीमित अवधि के लिए अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जा सकता है।

9. परिणामतः, प्रार्थी- **रेहान नसीमउद्दीन** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का इस निर्देश के साथ **निस्तारण** किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक, उक्त मामले में प्रार्थी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाना प्रभारी/जांच अधिकारी की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ अथवा किसी तथ्य की खोज के लिए स्वयं को उपस्थित करेगा;

(ii) प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत किया जा सके;

(iii) प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, जांच अधिकारी इस आदेश के निरस्तीकरण/संशोधन हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

30 जून, 2026

एकेएस

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।